बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य परिवहन प्राधिकार/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट पर विभिन्न अन्तर्राज्यीय/अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालित यात्री बसों के वाहन स्वामियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बसों के अन्दर चालक सीट के पीछे सभी यात्रियों को दिखने लायक स्थान पर संबंधित वाहन का परमिट, भाड़ा तालिका एवं दूरी तालिका की छायाप्रति सहित बस के निबंधन संख्या को प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाय।

इस प्रकार जाली परमिट अथवा बिना परमिट के अवैध रूप से परिचालित होने वाले यात्री बसों के परिचालन पर रोक लगाने एवं यात्रियों को सुविधा प्रदान करने हेतु किये जा रहे सरकारी प्रयास को सफल बनाने में आपका सहयोग अपेक्षित है। यह भी सूचित किया जाता है कि परमिट पर गलत पता अंकित करने संबंधी मामला प्रकाश में आने पर जाँचोंपरांत गलत पता अंकित कर परमिट प्राप्त करने वाले वाहन स्वामी तथा ऐसे परमिट निर्गत करने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जायेगी। सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारियों से अनुरोध है कि इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

E:\ \Pooja Sharma. Pariwahan\Manish Ji.Docx